उत्तर प्रदेश शासन
वन अनुभाग-1
संख्या-129/3216/14-1-2014-300(8)/95
लखनऊ दिनांक 12 नवम्बर,2014

<u>कार्यालय-ज्ञाप</u>

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्यपाल महोदय श्री पी0के0 सिन्हा, भा0व0से0 (सेवानिवृत्त) को उनकी सेवानिवृत्ति की तिथि 30 सितम्बर, 2014 को देय 300 दिन के उपार्जित अवकाश के समतुल्य नकदीकरण की अखिल भारतीय सेवायें (अवकाश) नियमावली-1955 के नियम-20(बी) (1) के अन्तर्गत सहर्ष स्वीकृत प्रदान करते है।

2- उक्त व्यय अनुदान संख्या:-62 के लेखा-शीर्षक-2071-पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति हित लाभ (आयोजनेत्तर)-01-सिविल-115-छुट्टी नकदीकरण हित लाभ-03-सेवानिवृत्ति के समय अवकाश का नकदीकरण-01- दिनांक 08 नवम्बर,2000 तक सेवानिवृत्त कर्मचारियों के अवकाश का नकदीकरण-33-पेंशन/आनुतोषिक/अन्य सेवानिवृत्ति हितलाभ-02- दिनांक 08 नवम्बर, 2000 के पश्चात सेवानिवृत्त कर्मचारियों के अवकाश का नकदीकरण-33-पेंशन/आनुतोषिक/अन्य सेवानिवृत्त हित लाभ के नामे डाला जायेगा।

सुरेश कुमार पाण्डेय
उप सचिव

<u>संख्या- 3216 (1)/14-1-2014-तददिनांक।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रमुख वन संरक्षक, उ0प्र0, लखनऊ।
2- श्री पी0के0 सिन्हा, भा0व0से0 (से0नि0) ई-164 श्याम नगर, कानपुर-208013 ।
3- महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद/केन्द्रीय भवन, अलीगंज, लखनऊ।
4- वित्त नियंत्रक, कार्यालय प्रमुख वन संरक्षक, उ0प्र0, लखनऊ।
5- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(राम रतन)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in